राजस्थान सरकार
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएं
2,जलपथ, गांधी नगर, जयपुर

कमांक–एफ. 3(4)पोषा/निरीक्षण/ICDS/2013/ जयपुर, दिनांकः–

उप निदेशक
महिला एवं बाल विकास विभाग,
समस्त।

विषयः– पूरक पोषाहार के वितरण के संबंध में।

विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि विभागीय अधिकारियों द्वारा आंगनबाडी केन्द्रों के निरीक्षण के दौरान यह पाया गया है कि आंगनबाडी केन्द्रों पर लाभान्वितों को पूरक पोषाहार (Take Home Ration) वितरण के संबंध में पूर्ण रिकार्ड संधारित नहीं किया जा रहा है। पोषाहार वितरण का पूर्ण रिकार्ड संधारित नहीं करने के कारण जहां एक ओर वास्तविक लाभान्वित को पोषाहार प्राप्त होना सुनिश्चित नहीं हो पाता है वहीं दूसरी ओर पोषाहार के दुरूपयोग/गबन की भी सम्भावना रहती है। अतः इस संबंध में निर्देशित किया जाता है कि प्रत्येक आंगनबाडी केन्द्र पर पोषाहार वितरण (Take Home Ration) का रजिस्टर बनाया जाकर पोषाहार वितरण का लेखा–जोखा निम्नलिखित प्रारूप में संधारित किया जाना सुनिश्चित करावें:–

(माह ....)

क्र.सं.	श्रेणी अनुसार पंजीकृत लाभान्वित का नाम	पोषाहार (Take Home Ration) प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर				
		प्रथम सप्ताह दिनांक	द्वितीय सप्ताह दिनांक	तृतीय सप्ताह दिनांक	चतुर्थ सप्ताह दिनांक	पंचम सप्ताह दिनांक .... (यदि किसी माह में हो तो)

उक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावें।

Sd/-
(आर.एस.मीणा)
अति.निदेशक (पोषाहार)
समेकित बाल विकास सेवाएं,
राजस्थान जयपुर

कमांक–एफ. 3(4)पोषा/निरीक्षण/ICDS/2013/ 137204-130153 जयपुर, दिनांकः 11.10.13
प्रतिलिपिः–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राज. जयपुर।
2. वरिष्ठ निजी सहायक, निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएं, राज. जयपुर।
3. समस्त अधिकारीगण, मुख्यालय।
4. बाल विकास परियोजना अधिकारी, समस्त।
5. प्रभारी अधिकारी, कम्प्यूटर शाखा को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

(आर.एस.मीणा)
अति.निदेशक (पोषाहार)